

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक RHC/Lib./NL/2018-19/ 1.

दिनांक 07.07.2018

### निविदा सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर के कार्यालय द्वारा एक वर्ष के वार्षिक अनुबंध हेतु 336 कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा अर्द्ध वार्षिक मुद्रण व सप्लाई करने हेतु दरों के संबंध में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है । जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1,25,000/- रुपये वार्षिक है । निविदा प्रपत्र दिनांक 10.07.2018 से दिनांक 24.07.2018 तक कार्यालय समय में मुख्य रोकडपाल से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है, मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 25.07.2018 को 10.30 बजे तक कार्यालय में जमा करायी जा सकेंगी । प्राप्त निविदाएँ दिनांक 25.07.2018 को 11.15 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी । निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर देखी जा सकती है ।

आज्ञा से

Sd/-

रजिस्ट्रार ( प्रशासन )

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## निविदा की शर्तें

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय द्वारा एक वर्ष के वार्षिक अनुबंध हेतु 336 कोर्ट न्यूज लेटर अर्द्ध वार्षिक मुद्रण कर सप्लाई करने हेतु दरों के संबंध में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा की साईज 22 X 28, 23 X 31 से. मी. क्रमशः होगी और इसके पृष्ठ 52 होंगे जो घट-बढ़ भी सकते हैं इस कोर्ट न्यूज लेटर के पेपर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले नमूने के अनुरूप होंगे। इस न्यूजलेटर के सभी पृष्ठ 170 जी.एस. एम. के तथा मुख एवं अंतिम पृष्ठ हेतु आर्ट कार्ड प्लास्टिक लेमिनेशन सहित 350 जी.एस. एम. के एवं प्रिन्टेड लिफाफा हेतु आर्ट पेपर 100 जी.एस.एम. मय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कलर स्कीम (Colour Scheme) में ही प्रकाशित करना होगा तथा इसकी बाईण्डिंग / सिलाई जुज अथवा लपेट में होनी चाहिए। कोर्ट न्यूज लेटर हेतु Manuscript एवं नमूना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। (अनुमानित लागत लगभग **1,25,000/-** रुपये वार्षिक हैं)
2. निविदा प्रपत्र दिनांक **10.07.2018** से **24.07.2018** तक कार्यालय समय पर रोकडपाल से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है तथा समस्त भरी हुई मुहरबंद निविदाएँ दिनांक **25.07.2018** को प्रातः **10.30** तक कार्यालय के रोकडपाल के पास जमा करायी जा सकेगी जो दिनांक **25.07.2018** को प्रातः **11.15** बजे उपस्थित आवेदकों / प्रतिनिधियों के समक्ष इस कार्यालय में खोली जायेंगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. निविदा दाताओं को मुद्रण व सप्लाई राशि का 2% कार्यालय में बयाना राशि (अरनेस्ट मनी) के रूप में नकद अथवा Demand Draft के रूप में जमा करवाना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल' राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नकद की रसीद या Demand Draft मूल रूप से संलग्न करना होगा तथा लिफाफे के बाएँ कोने में निविदा कर्ता का नाम, पूर्ण पता एवं फोन / मोबाईल नम्बर लिखे होने चाहिए।
4. निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से लिख कर अंकित करनी होगी। निविदा प्रपत्र व संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा काँट-छाँट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने का खर्चा (हेण्डलिंग चार्ज) भी सम्मिलित होगा।
5. मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा का ले-आउट और डिजाइन उच्च एवं अच्छे स्तर का होना चाहिये। मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा का ले-आउट और डिजाइन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से अनुमोदित करवाना होगा।
6. कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा की साईज, पेपर का प्रकार, कलर फोटोग्राफ में प्रयोग में ली जाने वाली स्याही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से अनुमोदन करवाने के पश्चात् ही कोर्ट न्यूज लेटर का मुद्रण एवं सप्लाई तदनुरूप होनी चाहिए।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय द्वारा मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर की Manuscript / Soft कॉपी उपलब्ध करवायी जायेगी जिसकी प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर मुद्रित कोर्ट न्यूज लेटर की नमूना कॉपी कार्यालय में उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक होगी जो कार्यालय द्वारा प्रूफ रीडिंग के पश्चात् लौटाने की तारीख से 10 दिवस के भीतर मुद्रित कर कार्यालय में स्वयं के खर्च पर उपलब्ध करवानी होगी ।
8. निविदादाता को चाहिए कि वह कार्यालय के निविदा प्रपत्र में ही अपनी दरें अंकित करें तथा विभाग की निविदा प्रस्ताव को भरते समय वह अपने GST Registration प्रमाण पत्र की फोटो प्रति स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करें ।
9. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा । संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात् ही भुगतान देय होगा । आपूर्ति आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग व निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी । आपूर्ति आदेशानुसार नहीं होने पर सफल निविदादाता के खर्च पर लौटाया जा सकेगा तथा पूर्वोक्त कार्य अन्य प्रकाशक से करवाने पर अंतर की राशि / अधिक व्यय संबंधित सफल निविदादाता से वसूल किया जायेगा ।
10. उक्त कार्य सम्पादन / आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिए विभाग किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी ।
11. न्यूजलेटर के छपने के बाद उसकी Soft Copy को DVD में कवर पेज सहित यानि पेज एक से अंत तक ( पूरा न्यूजलेटर ) इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा ।
12. सामग्री, आपूर्ति आदेश में वर्णित समयावधि ( कार्यालय द्वारा निर्धारित ) के भीतर ही करनी होगी । विलम्ब से आपूर्ति पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी ।
13. इस निविदा की दरें कार्यादेश की दिनांक से एक साल के लिए मान्य होगी । परन्तु दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से इसे अगले वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा ।
14. न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा की अनुमानित प्रतियों व पृष्ठों की संख्या में कमी या वृद्धि का सम्पूर्ण अधिकार कार्यालय के पास रहेगा ।
15. न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा को पूर्णरूप से तैयार कर उसकी सप्लाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को निर्धारित समय में करनी होगी ।
16. उक्त निविदा में सफल प्रस्तावक अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा तथा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा ।
17. सफल निविदादाता द्वारा कार्य में असफल रहने पर Second Lowest Bidder अथवा बाजार से मुद्रण कार्य करवाया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत न्यूनतम दर से अधिक व्यय होने पर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी ।
18. उक्त निविदा के क्रम में समस्त, सर्वोच्च एवं अंतिम वैधानिक अधिकार माननीय क्रय समिति / कार्यालय का होगा एवं यह निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी रहेगा तथा निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा ।
19. निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
20. बिना बयाना राशि के निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

21. सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि का **10%** धरोहर राशि के रूप जमा करवाना होगा । इसमें पूर्व में जमा **2%** बयाना राशि का समायोजन किया जा सकता है । सभी महत्वपूर्ण शर्तें उसके बदले स्वीकार की गई सभी शर्तें तथा फर्म के साथ पत्र व्यवहार अनुबन्ध का भाग होगा ।
22. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात् अपने खर्च पर **500/-** रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित अनुबंध पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा ।
23. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।
24. इस संबंध में समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर रहेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर